

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ 5(1) 2013-14/लेखा/प्रमुवसं./7317-46 दिनांक 6-1-15

समस्त मुख्य वन संरक्षक,


विषय:- महालेखाकार कार्यालय के जांच प्रतिवेदनों के वर्ष 2002-03 तक के वसूली से संबंधित आक्षेपों की सूचना भिजवाने बाबत ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निकट भविष्य में विभागीय ऑडिट समिति की बैठक आयोजित होनी है। जिसमें वर्ष 2002-03 से पूर्व के वसूली से संबंधित आक्षेपों की स्थिति पर भी विचार - विमर्श किया जाना है। गत ऑडिट समिति में इन्हें त्वरित गति से निपटाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

अतः आपके कार्यालय की एवं सम्भाग के कार्यालय की सूचना पृष्ठ भाग पर मुद्रित प्रपत्र में दिनांक 12.01.2015 तक भिजवाने का श्रम करें । प्रपत्र को वित्तीय सलाहकार के ईमेल आई डी fa forest144@gmail.com पर भेजें

भवदीय



वित्तीय सलाहकार,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर

